04/07/25	अधिवक्ता अपीलांट उप. । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। जिसके कारण उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अत: उक्त अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होने के फलस्वरूप उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अत: प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होने के फलस्वरूप उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली		

Scanned with OKEN Scanner